न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री समदरसिंह भाटी,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 28/2025

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
हरजीराम पुत्र उमेदाराम जातियान जाट, साकिनियत राकिशन नगर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. केशराराम पुत्र नगाराम 2. टीकमाराम पुत्र नगाम 3. भीखाराम पुत्र नगाराम 4. रविन्द्र पुत्र नरसिंगाराम 5. भावेश पुत्र नरसिंगाराम, प्रतिवादी सं. 4 व 5 नाबालिग जरीये वलिया माता टूगीदेवी पत्नि नरसिंगाराम 6. टूगीदेवी पत्नि नरसिंगाराम 7. लाखाराम पुत्र खुमाराम 8. जोराराम पुत्र खुमाराम 9. भानाराम पुत्र खुमाराम 10. हनुमान पुत्र खुमाराम 11. चेनाराम पुत्र खुमाराम 12. लाभूराम पुत्र खुमाराम जातियान जाट, साकिन रामकिशन नगर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 13. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण शाखा सड़ा। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी एवं उपपंजीयक सिणधरी जिला बालोतरा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 14 के पैरोकार उप. तथा शेष प[illegible]रफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:46:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक– 08.10.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए यह आवेदन

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

...र्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है वि..प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल सड़ा के राजस्व ग्राम रामकिशन नगर के खसरा संख्या 462 रकबा 18.6313 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा अर्थात् रकबा 2.3289 हैक्टेयर तथा शेष हिस्से में विप्रार्थीगण जिसमें विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 04 से 06 का प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा एवं राजस्व ग्राम नारायणपुरा के खसरा संख्या 146 रकबा 16.0991 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा अर्थात् रकबा 1.0061 हैक्टेयर तथा शेष हिस्से में विप्रार्थीगण जिसमें विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 04 से 06 का प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 07 से 12 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी है। जिसमें प्रार्थी अपने कब्जे काश्त कीभूमि विप्रार्थीगण से विभाजित कर पृथक करवाने हेतु एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है जो प्रथम दृष्टया साबित है। कि विप्रार्थीगण अपने हिस्से की सीमा से बढ़कर व प्रार्थी की उपजाउ बनाई हुई भूमि पर इस संयुक्त खातेदारी खेत में कब्जा कर काश्त करना चाहते है, तथा अग्रीम राशि लेकर तय भूमि को किसी अजनबी लोगों को बेचान करने पर उतारू है प्रार्थी व विप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सानुसार काबिज है परन्तु विप्रार्थीगण जो उक्त भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करवाने के प्रयासरत है। विप्रार्थीगण जो अन्य किसी अजनबी केता को बेचान करने की धमकिया दे रहा है तथा उसे डेरी व मिट्टी वाली एवं सडक के लगते हुए भूमि को प्रार्थी के कब्जे से बदेखल करने पर उतारु है। जिससे यह विवाद पैदा किया तथा कब्जे व काश्त में बाधा पैदाकर प्रार्थी के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे है। जिसका की विप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। विप्रार्थीगण अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर प्रार्थी को अपने कब्जे से बेदखल कर देगा तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में मुद्रा के रुप में संभव नही है। कि सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का खातेदारी का है तथा उक्त वाद के निस्तारण होने में समय लगने की संभावना होने से उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति रखा जाना अति आवश्यक है।अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल सड़ा के राजस्व ग्राम रामकिशन नगर के खसरा संख्या 462 रकबा 18.6313 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा अर्थात् रकबा 2.3289 हैक्टेयर तथा शेष हिस्से में विप्रार्थीगण जिसमें विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 04 से 06 का प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा एवं राजस्व ग्राम नारायणपुरा के खसरा संख्या 148 रकबा 16. 0991 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा अर्थात् रकबा 1.0061 हैक्टेयर तथा शेष हिस्से में विप्रार्थीगण जिसमें विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 04 से 06 का प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 07 से 12 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा जो जमाबन्दी में [illegible] प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअदांजी व हस्[illegible]करे न ही कोई नया निर्माण कर पक्का कब्जे करे न ही किसी अज[illegible] जबरन प्रार्थी को बेदखल नही करे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये र[illegible] आशय का स्थगन आदेश प्रार्थी के पक्ष में व विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 6 की तरफ से वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस की

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:46:59 IST
Reason: SelfAttested

तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल सड़ा के राजस्व ग्राम रामकिशन नगर के खसरा संख्या 462 रकबा 18.6313 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा अर्थात् रकबा 2.3289 हैक्टेयर तथा शेष हिस्से में विप्रार्थीगण जिसमें विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 04 से 06 का प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा एवं राजस्व ग्राम नारायणपुरा के खसरा संख्या 146 रकबा 16.0991 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा अर्थात् रकबा 1.0061 हैक्टेयर तथा शेष हिस्से में विप्रार्थीगण जिसमें विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 04 से 06 का प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 07 से 12 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी है। उक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी के अधिकारों का है जिसमें पक्षकारान के अपने–अपने हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है। जहां तक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व अजनबी क्रेता को बेचान करने एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है के सन्दर्भ में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी स्वंय द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, दोनों पक्षों के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 15:46:59 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखा जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी